

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 116 / 2000

संस्थित दिनांक-30.03.2000

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- पूर्व से निर्णित 1. रणवीरसिंह पुत्र मेहरवानसिंह उर्फ मोहरमनसिंह राठौर, उम्र 33 साल, व्यवसाय दुकानदारी निवासी दर्पण कालोनी, ग्वालियर, पुलिस थाना ठाटीपुर जिला ग्वालियर म0प्र0
- पूर्व से निर्णित 2. गजेन्द्रसिंह पुत्र पारथसिंह चौहान उम्र 49 साल व्यवसाय शिक्षक, निवासी ग्राम सौदा पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0
3. संजय सक्सेना उम्र 40 साल निवासी- कुबेर आश्रम के पास ठाटीपुर, मुरार, ग्वालियर म0प्र0

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 30.01.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 420, 419, 120बी भा0द0वि0 एवं 3/4 परीक्षा अधिनियम के अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 14.03.1997 को 10:20 बजे सुबह या उसके करीब 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2061 वी0एस0 हायर सेकेण्डरी स्कूल विरखडी अंतर्गत थाना गोहद चौराहा में परीक्षार्थी रणवीर राठौर के रोल नं0 20210430 पर परीक्षा देकर छल किया, उपरोक्त परीक्षा में परीक्षार्थी रणवीर राठौर के स्थान पर नाम पता वलदियत आदि रणवीर की होकर उसके स्थान पर बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति को रखकर परिवर्तित कर छल कारित किया, परीक्षार्थी रणवीर सिंह के स्थान पर संजय सक्सैना की फोटो राजेन्द्र सिंह प्राचार्य अशासकीय सचिदानंद उ0मा0वि0 सौधा गोरमी द्वारा रणवीर के स्थान पर संजय सक्सैना की फोटो को सत्यापित कर रणवीर सिंह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संजय सक्सैना को उसके स्थान पर परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित कराकर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षडयंत्र किया तथा उक्त परीक्षा में आरोपी रणवीर राठौर के स्थान पर अंग्रेजी पेपर की परीक्षा देकर अनुचित साधनों का उपयोग किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय व स्वीकृत है कि अभियुक्त रणवीर सिंह एवं गजेन्द्र सिंह के संबंध में दिनांक 07.09.2012 को पूर्व में पीठासीन अधिकारी श्री केशव सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद द्वारा निर्णय घोषित किया जा चुका है। इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त संजय सक्सेना के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी वेदप्रकाश मुदगल हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 1997 को केन्द्र क्रमांक 2061 बी0एस0 हायर सेकेण्डरी स्कूल विरखडी के परीक्षा केन्द्राध्यक्ष थे। उक्त दिनांक को हायर सेकेण्डरी स्कूल दिनांक 14.03.1997 को उक्त परीक्षा केन्द्र में अंग्रेजी/संस्कृत की परीक्षा सुबह 08 से 11 बजे तक थी। परीक्षा के दौरान करीब 10:30 बजे उसे विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि रोल नं० 20210430 के परीक्षार्थी रणवीर सिंह राठौर निवासी शकुन्तला पुरी मंदिर के पास ग्वालियर के स्थान पर दूसरे फर्जी छात्र संजय सक्सेना निवासी ग्वालियर परीक्षा दे रहा है। इस सूचना की तश्दीक हेतु फरियादी एवं सहा० केन्द्राध्यक्ष जे०के० उपाध्याय कक्ष क्रमांक 01 में तत्काल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उक्त रोल नं० पर परीक्षा देने वाला छात्र कॉपी को पर्यवेक्षक को जमा करके परीक्षा केन्द्र से जा चुका था। परीक्षार्थी रणवीर सिंह का फोटो उसके आगे परीक्षा देने वाले छात्र विनय सक्सेना पुत्र उमेश एवं मनीष कश्यप पुत्र एच०एल० कश्यप बृजेन्द्र सिंह राघव को दिखाया तो उन्होंने परीक्षार्थी रणवीर न होकर संजय सक्सेना निवासी ग्वालियर का होना बताया। इस प्रकार से उस फर्जी छात्र के रूप में संजय सक्सेना द्वारा परीक्षा देने का आधार पाया गया। रणवीर सिंह के स्थान पर संजय सक्सेना का फोटो प्राचार्य सचिदानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सौधा द्वारा प्रमाणित किया गया था। अतः उक्त आशय का लिखित आवेदन थाना गोहद चौराहा को दिया गया तथा संलग्न दस्तावेज दिए गए। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। दस्तावेजों को जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दस्तावेजों की जांच कराई गई। वाद अनुसंधार अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा रजिशन झूठा फंसाए जाने का कथन किया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.03.1997 को 10:20 बजे सुबह या उसके करीब 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2061 बी०एस० हायर सेकेण्डरी स्कूल विरखडी अंतर्गत थाना गोहद चौराहा में परीक्षार्थी रणवीर राठौर के रोल नं० 20210430 पर परीक्षा देकर छल किया?
2. क्या अभियुक्त ने उपरोक्त परीक्षा में परीक्षार्थी रणवीर राठौर के स्थान पर नाम पता वलदियत आदि रणवीर की होकर उसके स्थान पर बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति को रखकर परिवर्तित कर छल कारित किया ?
3. क्या अभियुक्त ने परीक्षार्थी रणवीर सिंह के स्थान पर संजय सक्सेना की फोटो राजेन्द्र सिंह प्राचार्य अशासकीय सचिदानंद उ०मा०वि० सौधा गोरमी द्वारा रणवीर के स्थान पर संजय सक्सेना की फोटो को सत्यापित कर रणवीर सिंह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संजय सक्सेना को उसके स्थान पर परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित कराकर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षडयंत्र किया ?
4. क्या अभियुक्त ने उक्त परीक्षा में आरोपी रणवीर राठौर के स्थान पर अंग्रेजी पेपर की परीक्षा देकर अनुचित साधनों का उपयोग किया ?

--: सकारण निष्कर्ष :-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में लोकेन्द्र सिंह जादौन अ0सा0 1, लोकेन्द्र शर्मा अ0सा0 2, वेदप्रकाश मुदगल अ0सा0 3, विनय सक्सेना अ0सा0 4, जे0के0 उपाध्याय अ0सा0 5, को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. फरियादी वेदप्रकाश मुदगल अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 14.03.1997 को अशासकीय विद्यालय विरखड़ी में परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को अंग्रेजी विषय का अंतिम पेपर था तथा लगभग 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रोल नं0 20210430 रणवीर राठौर के स्थान पर कोई अन्य विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, जो फर्जी है। सूचना प्राप्त होने पर वे और जे0के0 उपाध्याय परीक्षा रूम में पहुंचे और पर्यवेक्षक लोकेन्द्र शर्मा से इस रोल नं0 की जानकारी ली तो पता चला कि उक्त विद्यार्थी कॉपी को जमा करके पहले ही जा चुका है। तब परीक्षार्थी के आगे और पीछे बैठे विद्यार्थी विनय सक्सेना व मनीष कश्यप से पूछा तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो परीक्षा दे रहा था वह रणवीर राठौर नहीं, बल्कि संजय सक्सेना था। उन दोनों विद्यार्थियों ने बताया कि संजय सक्सेना रणवीर से 5000/- रुपए लेकर उसके स्थान पर फर्जी रूप से परीक्षा दे रहा है। फिर उन्होंने रणवीर राठौर का फोटो लगे हुए आवेदन को दोनों परीक्षार्थियों को बताया तो उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह नहीं, बल्कि फर्जी रूप से संजय सक्सेना परीक्षा दे रहा है। फोटो को संस्था के संचालक ने प्रमाणित किया है। उसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी गोहद चौराहा को लिखित आवेदन दिया था तथा परीक्षार्थी रणवीर सिंह का आवेदन तथा उपस्थिति पत्रक, जिसमें परीक्षार्थी रणवीर सिंह के हस्ताक्षरशुदा छायाप्रति आवेदन में संलग्न कर दिया था। उक्त आवेदन पत्रक प्र0पी0 3 के रूप में बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। आवेदन के आधार पर थाना गोहद चौराहा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने, जिसे प्र0पी0 4 बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साथ ही नक्शामौका प्र0पी0 1 पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

8. जे0के0 उपाध्याय अ0सा0 6 अपने अभिसाक्ष्य में उक्त घटना दिनांक 14.03.1997 को अशासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल विरखड़ी में सहायक केन्द्राध्यक्ष के पद पर पदस्थ होने व केन्द्राध्यक्ष वेदप्रकाश मुदगल होने का कथन करते हैं। यह कथन करते हैं कि उस दिन अंग्रेजी एवं संस्कृत की परीक्षा चल रही थी। करीब 10:30 बजे उसे एवं मुदगल केन्द्राध्यक्ष को गोपनीय रूप से सूचना मिली कि कक्ष क्रमांक 01 में रणवीर सिंह राठौर के स्थान पर संजय सक्सेना नाम का लड़का परीक्षा दे रहा है। यह साक्षी भी वेदप्रकाश अ0सा0 3 के समान परीक्षा कक्ष में पहुंचे अभिकथित छात्र को परीक्षा देकर उत्तरपुस्तिका जमा करके चला जाना बताते हैं और परीक्षा कक्ष में आगे व पीछे बैठे परीक्षार्थियों के द्वारा रणवीर सिंह के

स्थान पर संजय सक्सेना का परीक्षा देना बताते हैं। तत्पश्चात् परीक्षा फॉर्म पर चस्पा फोटो दिखाने पर लड़कों(परीक्षार्थियों) द्वारा उक्त फोटो संजय सक्सेना का होना बताते हैं, तत्पश्चात् केन्द्राध्यक्ष द्वारा लिखित रिपोर्ट किया जाना बताते हैं। इस प्रकार से दोनों साक्षीगण वेदप्रकाश अ0सा0 3 जे0के0 उपाध्याय अ0सा0 6 अपने अभिसाक्ष्य में परीक्षा कक्ष में मौजूद छात्रों के द्वारा रणवीर सिंह के स्थान पर बैठे परीक्षार्थी के रूप में अभियुक्त संजय सक्सेना का होने का कथन करते हैं।

9. वेदप्रकाश अ0सा0 3 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह कथन किया गया है कि उन्होंने साक्ष्य दिनांक तक न तो रणवीर सिंह राठौर को देखा है, न ही संजय सक्सेना को देखा है। यह भी स्वीकार करते हैं कि न तो उन्होंने रणवीर राठौर को और न ही संजय सक्सेना को परीक्षा देते देखा। कंडिका 2 में यह कथन करते हैं कि जब वे विद्यार्थी को चैक करने गए, उस समय वह कॉपी जमा करके जा चुका था और विद्यार्थी के आगे-पीछे बैठने वालों से पूछताछ करने पर पता चला था कि विद्यार्थी रणवीर राठौर न होकर संजय सक्सेना था। इसी कंडिका 2 के अंत में यह कथन करते हैं कि “मैंने संजय सक्सेना के फोटो का मिलान नहीं किया है, पर्यवेक्षक द्वारा किया गया होगा” इस प्रकार से इस साक्षी द्वारा स्वयं अभियुक्त संजय का घटना में परीक्षार्थी रणवीर के स्थान पर छद्मभेष धारण कर छल पूर्वक अपने को रणवीर सिंह बताकर परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित होने का तथ्य साक्षी द्वारा अन्य परीक्षार्थियों के बताने पर प्रकट किया गया है। स्वयं साक्षी न तो रणवीर सिंह को जानता है और न ही अभियुक्त संजय सक्सेना को। इस प्रकार से साक्षी जे0के0उपाध्याय अ0सा0 6 प्रतिपरीक्षण दिनांक 27.09.2016 को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त संजय सक्सेना को कभी नहीं देखा और न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को आज पहली बार देख रहा हूँ। साथ ही यह भी कथन करते हैं कि वे नहीं बता सकते कि संजय सक्सेना ने कोई परीक्षा दी थी या नहीं। ऐसी दशा में उक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, जिसका कोई साक्षिक मूल्य पुष्टि के बिना नहीं है।

10. प्र0पी0 3 के आवेदनपत्र में एवं साक्षी वेदप्रकाश अ0सा03 के कथन में परीक्षा कक्ष क्रमांक 01 में बैठे परीक्षार्थी विनय सक्सेना एवं मनीष कश्यप तथा बृजेन्द्र सिंह राठौर द्वारा उन्हें उक्त परीक्षा में कथित रूप से अभियुक्त संजय सक्सेना द्वारा रणवीर सिंह राठौर के स्थान पर परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित होने का आधार बनाया गया है। प्रकरण में विनय सक्सेना अ0सा0 4 के रूप में परीक्षित कराया गया है जो यह कथन करते हैं कि सौंथा विद्यालय से 12वीं का नियमित छात्र के रूप में फॉर्म भरना बताता है। यह कथन करते हैं कि वह परीक्षा देने गया था एवं अन्य कोई जानकारी न होना बताते हैं। इस बात की भी जानकारी न होना बताता है कि उनके साथ संजय सक्सेना ने फॉर्म भरा था कि नहीं। यह भी याद न होना बताते हैं कि उन्होंने फोटो लगाई वह प्रमाणित की गई थी या नहीं। साक्षी घटना की कोई भी जानकारी न होने का कथन करता है और पुलिस द्वारा कोई कथन लिए जाने के तथ्य से भी इन्कार करता है। साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचन प्रश्न पूछे गए। सूचक प्रश्नों में इस तथ्य से इन्कार करता है कि 12वीं की परीक्षा का फॉर्म उन्होंने और साथी

संजय द्वारा भरा गया था। यह भी अस्वीकार करते हैं कि रोल नं० 20210430 पर नियमित इंटरमडियट परीक्षा अभियुक्त संजय सक्सेना दे रहा था। इस तथ्य से भी इन्कार करता है कि उसे पीछे बृजेन्द्र का रोल नं० 20210433, मनीष कश्यप का 20210434 तथा रोल नं० 20210430 के परीक्षा फॉर्म दिखलाए थे, जिसे साक्षी ने अभियुक्त संजय का होना बताया है। इस प्रकार से अभियोजन के मामले को कोई भी समर्थन नहीं करता। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को साक्ष्य दिनांक से पूर्व कभी भी नहीं देखने व प्रथम बार देखने का कथन करता है। इस प्रकार से साक्षी द्वारा अभियुक्त के संबंध में कोई भी कथन नहीं दिया है। प्रकरण में अन्य कथित परीक्षार्थी मनीष कश्यप एवं बृजेन्द्र सिंह को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किया जा सका और उनका पता भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ऐसे में उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

11. प्रकरण में अभियुक्त संजय सक्सैना के कथित रणवीर सिंह राठौर के स्थान पर परीक्षा में उपस्थित होने के संबंध में साक्षी वेदप्रकाश मुदगल अ०सा० 3, जिनके द्वारा प्राथमिकी पंजीबद्ध कराई गई है, वे परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थीगण के बताए अनुसार उपस्थित व्यक्ति के संजय सक्सैना होने के संबंध में तथ्य प्रकट करते हैं। ऐसे में वे स्वयं अभियुक्त को न तो जानते हैं और न ही उन्होंने अभियुक्त को परीक्षा के समय उपस्थित होते देखा है। ऐसा भी कथन करते हैं परीक्षार्थी के अतिरिक्त परीक्षा कक्ष में उपस्थित पर्यवेक्षक महत्वपूर्ण होता है। लोकेन्द्र शर्मा अ०सा० 2 उक्त परीक्षा में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, यह कथन उनके द्वारा किया गया है। यह साक्षी अभिसाक्ष्य में प्रकट करता है कि केन्द्राध्यक्ष मुदगल जी के द्वारा एक रोल नं० के बारे में कि वह लड़का कहा है ? तब तक कथित लड़का कॉपी जमा करके जा चुका था, तब मुदगल जी द्वारा साक्षी को बताया गया लड़का रणवीर सिंह के नाम से बैठा था वह रणवीर सिंह नहीं, बल्कि संजय सक्सैना था। यह भी कथन करते हैं कि जो परीक्षा दे रहा था और जो बोर्ड का फॉर्म भरा गया था, उसमें भी संजय संक्सैना का फोटो लगा हुआ था। यह साक्षी कुछ बिंदुओं पर अभियोजन का समर्थन नहीं करता है। न्यायालय द्वारा साक्षी की सत्यवादिता प्रमाण हेतु प्रश्न पूछे गए, किंतु उक्त प्रश्नों का साक्षी ने जानकारी का अभाव या इन्कार होने के रूप में उत्तर दिया। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में स्पष्ट कथन करता है कि वह अभियुक्त संजय सक्सैना को नहीं पहचानता और यह भी स्वीकार करता है कि जब उसे जानकारी मिली कि कोई लड़का फर्जी बैठा है, तब वहां कहीं भी संजय सक्सैना नहीं था। यह भी स्वीकार करते हैं कि संजय सक्सैना ने कोई परीक्षा नहीं दी। ऐसे में अभिकथित रूप से पर्यवेक्षक लोकेन्द्र अ०सा० 2, जो परीक्षा कक्ष में उपस्थित थे, वे अभियुक्त संजय सक्सैना के परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित होने के तथ्य से स्पष्ट इन्कार करते हैं। ऐसे में अभियोजन के मामले पर संदेह उत्पन्न हो जाता है।

12. प्रकरण में वेदप्रकाश मुदगल अ०सा० 3 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में रणवीर राठौर का फोटो लगा हुआ आवेदनपत्र परीक्षार्थी (विनय सक्सैना एवं मनीष कश्यप) को दिखाने पर उन्होंने बताया कि रणवीर नहीं, बल्कि फर्जी रूप से संजय सक्सैना परीक्षा दे रहा था। साक्षी के द्वारा रणवीर सिंह का

आवेदनपत्र, उपस्थिति पत्रक, रणवीर के हस्ताक्षरशुदा छायाप्रति आवेदनपत्र प्र0पी0 3 में संलग्न कर थाने को दिए जाना बताते हैं। प्रकरण में अभिकथित दस्तावेजों के संबंध में अभियोजन का यह मामला है कि उक्त दस्तावेज हस्तलेख विशेषज्ञ भोपाल को भेजा गया था और जांच उपरांत अपनी रिपोर्ट एवं समस्त दस्तावेज संबंधित थाने गोहद चौराहे के द्वारा भेजा गया था, किंतु उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हो सके हैं तथा दस्तावेज गुम हो गए हैं। इस संबंध में प्रकरण में पत्रावली संलग्न है, उक्त दस्तावेज पुलिस की लापरवाही से गुम हो जाने के कारण न्यायालयीन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता कि क्या रणवीर के नाम से उल्लेखित परीक्षा फॉर्म पर अभियुक्त संजय सक्सैना का फोटो लगा हुआ था, क्या उक्त फोटो को संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया था। इस प्रकार से तथ्यों की सुसंगत श्रंखला, जो कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को प्रमाणित करने हेतु प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में आवश्यक थी, वह पूर्ण नहीं हो रही है।

13. प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि साक्षी वेदप्रकाश अ0सा0 3 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में स्वीकार करते हैं कि उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर परीक्षा फॉर्म पर लगे हुए फोटो व परीक्षार्थी को देख कर ही किया जाता है। साथ ही कंडिका 5 में स्वीकार करते हैं कि प्रवेश पत्र की परीक्षा के दिन जांच होती है और यह भी स्वीकार करते हैं कि परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के आधार पर जांच कर ही परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है। ऐसी दशा में यदि रणवीर सिंह राठौर के स्थान पर अभियुक्त द्वारा छद्म भेष धारण कर परीक्षा में उपस्थित हुआ होता तो इस संबंध में उसकी परीक्षा में प्रवेश करते समय एवं उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर से मिलान करते समय उसकी अपराध में संलिप्तता को प्रमाणित किया जा सकता था। प्रकरण में अन्य पुलिस साक्ष्य औपचारिक रह जाता है। विवेचक हुकमसिंह यादव को कई बार आहूत किए जाने पर अभियोजन पक्ष उपस्थित कराने में असमर्थ रहा है। साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में से कोई भी इस तथ्य का समर्थन नहीं करता है कि अभियुक्त संजय सक्सैना परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु अभिकथित घटना दिनांक 14.03.1997 को और उसके पूर्व परीक्षा में रणवीर सिंह राठौर के स्थान पर उपस्थित होता रहा था। कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य इस तथ्य के संबंध में नहीं है कि अभियुक्त संजय द्वारा रणवीर के स्थान पर मूल्यवान प्रतिभूति को रखकर या परिवर्तित कर छल कारित किया हो। मात्र प्र0पी0 3 के आवेदन व प्र0पी0 4 की रिपोर्ट जिसमें अभियुक्त संजय सक्सैना का नाम उल्लेखित हो जाने से उसके विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता है।

14. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि संदेह, सबूत का अनुकूल नहीं है। "सत्य हो सकता

है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 14.03.1997 को 10:20 बजे सुबह या उसके करीब 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा केन्द्र क्रमांक 2061 वी0एस0 हायर सेकेण्डरी स्कूल विरखडी अंतर्गत थाना गोहद चौराहा में परीक्षार्थी रणवीर राठौर के रोल नं0 20210430 पर परीक्षा देकर छल किया, उपरोक्त परीक्षा में परीक्षार्थी रणवीर राठौर के स्थान पर नाम पता वलदियत आदि रणवीर की होकर उसके स्थान पर बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति को रखकर परिवर्तित कर छल कारित किया, परीक्षार्थी रणवीर सिंह के स्थान पर संजय सक्सैना की फोटो राजेन्द्र सिंह प्राचार्य अशासकीय सचिदानंद उ0मा0वि0 सौधा गोरमी द्वारा रणवीर के स्थान पर संजय सक्सैना की फोटो को सत्यापित कर रणवीर सिंह को लाम पहुचाने के उद्देश्य से संजय सक्सैना को उसके स्थान पर परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित कराकर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षडयंत्र किया तथा उक्त परीक्षा में आरोपी रणवीर राठौर के स्थान पर अंग्रेजी पेपर की परीक्षा देकर अनुचित साधनों का उपयोग किया। अतः अभियुक्त संजय सक्सैना को संहिता की धारा 420, 419, 120बी भा0द0वि0 एवं 3/4 परीक्षा अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती हैं, उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

17. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश